केवल जागरूकता के लिए

जानिए

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजा के बारे में

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार करता है, तो उस मामले में की जाने वाली कार्रवाई :

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को दायर करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया पुलिस स्टेशन में अपराध का पंजीकरण करने के साथ शुरू होती है। अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट को दायर करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायलय की संविधान पीठ ने 2008 की रिट याचिका (अपराध) संख्या 68 (ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य) में अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 12.11.2013 को दिए अपने निर्णय में यह कहा था, 'संहिता की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर का पंजीकरण अनिवार्य है, यदि सूचना संज्ञान अपराध के घटित होने का प्रकटन करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच अनुमत नहीं है।' पीओए अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले अपराध संज्ञान हैं। ऐसी स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम के अध्याय-II, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 की संख्या 1) द्वारा यथा संशोधित संगत उपबंधों के अनुसार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) अवश्य दायर करनी चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजा:

क्र. स.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1.	कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना अधिनियम की धारा 3(1)(क)	पीड़ित व्यक्ति को 1.00 लाख रूपए। पीड़ित व्यक्ति को दिया जाने वाला भुगतान निम्नानुसार होगा :- क्रम संख्या (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 10 प्रतिशत और क्रम सं. (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट के चरण पर 25 प्रतिशत।
2.	मल-मूत्र, मल, पशु-शव या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(ख)	

क्र. स.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
3.	क्षति करने, अपमानित करने या शुद्ध करने के आशय से मल-मूत्र, कूड़ा, पशु-शव इकट्ठा करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(ग)	50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। क्रम सं. (2) और (3) के लिए निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराने पर 40% और इसी प्रकार क्रम सं. (1), (4) और (5) के लिए 25%।
4.	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध-नग्न घुमाना (अधिनियम की धारा 3(1)(घ)	
5.	कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना जैसे कार्य बलपूर्वक करना। (अधिनियम की धारा (1)(ङ)	
6.	किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(च)	पीड़ित व्यक्ति को 1.00 लाख रूपए। भूमि या परिसर या जल की आपूर्ति या सिंचाई सुविधा, को जहां आवश्यक होगा, संबंधित राज्य सरकार अथवा केन्द्र राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सरकारी खर्च पर बहाल किया जाएगा। पीड़ित को दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगाः- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
7.	किसी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(ज)	
8.	बेगार करने अथवा अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए। (अधिनियम की धारा 3(1)(झ)	
9.	मानव या पशु-शव का निपटान करने या उनकी अंतेष्टि ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)	

क्र. स.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(ट)	पीड़ित व्यक्ति को 1.00 लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को किसी देवदासी के रूप में निष्पादित या संवर्धित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)	
12.	मतदान करने, नामनिर्देश फाइल करने से रोकना। (अधिनियम की धारा 3(1)(ड)	
13.	पंचायत या नगरपालिका के किसी पदधारक को उसके कर्तव्यों के पालन में मजबूर, अभित्रस्त या बाधित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(ढ)	
14.	मतदान के बाद हमला करना और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(ण)	पीड़ित व्यक्ति को 85,000 रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
15.	किसी विशिष्ट अपराधी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(त)	

<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>अपराध का नाम</th><th>राहत की न्यूनतम राशि</th></tr>
<tr><td>16.</td><td>मिथ्या, द्वेषपूर्ण या अन्य विधिक कार्रवाइयां संस्थित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(थ)</td><td rowspan="7">पीड़ित व्यक्ति को 85,000 रूपए अथवा वास्तविक विधि खर्च और नुकसान की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :-
25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर।
50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देना। (अधिनियम की धारा 3(1)(द)</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(ध)</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली-गलौज करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(न)</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>धार्मिक मानी जाने वाली या अतिश्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना अथवा अपवित्र करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(प)</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की अभिवृद्धि करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(फ)</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या किसी अन्य साधन से अनादर करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(ब)</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय स्पर्श करने का ऐसा कार्य, जो लैंगिक प्रकृति का है, उसकी सहमति के बिना करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(म)</td><td>पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा:-
25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर।
50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है
25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।</td></tr>
</table>

क्र. स.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
24.	भारतीय दंड संहिता की धारा 326(ख) (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(भक)	पीड़ित व्यक्ति के चेहरे का 2% से अधिक जलने पर और आंख, कान, नाक और मुंह के काम न करने के मामले में अथवा शरीर के 30% से अधिक जलने आठ लाख पच्चीस हजार रूपए। शरीर के 10% से 30% तक जलने पर पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पचास हजार रूपए। चेहरे के अलावा शरीर के 10% से कम भाग के जलने पर पीड़ित व्यक्ति को 85,000 रूपए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अथवा केन्द्र राज्य क्षेत्र प्रशासन अम्ल के हमले से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कराने की पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के लिए दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 50%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। 50%, चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद।
25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ख) (1860 का 45)-किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(भक)	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 50%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। 25%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 326 (क) (1860 का 45)-लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(भक)	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 50%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। 25%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 326 (ख) (1860 का 45)-निवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(भक)	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 50%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। 25%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

क्र. स.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ग) (1860 का 45)-दृश्यरतिकता। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(भक)	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 10%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 40%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (घ) (1860 का 45)-पीछा करना। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(भक)	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 10%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 40%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ख) (1860 का 45)-पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(भक)	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 50%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 25%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ग) (1860 का 45)-प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(भक)	पीड़ित व्यक्ति को 4.00 लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 50%, चिकित्सा जांच और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। 25%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (1860 का 45)-शब्द अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित हैं। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(भक)	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

क्र. स.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
33.	पानी को गंदा करना अथवा उसका मार्ग बदलना। (अधिनियम की धारा 3(1)(य)	जब पानी को गंदा कर दिया जाता है तब उसे साफ करने सहित सामान्य सुविधा को बहाल करने की पूर्ण लागत संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाने वाली समुदायिक परिसंपत्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आठ लाख पच्चीस हजार रूपए की राशि जमा की जाएगी।
34.	किसी लोक स्थान पर जाने से अथवा लोक स्थान के मार्ग को उपयोग करने के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(र)	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और मार्ग के अधिकार की लागत को बहाल करने के लिए संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन की गई लागत। दिया जाने वाले भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
35.	घर, गांव, निवास स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(ल)	संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थल अथवा घर, गांव अथवा अन्य निवास स्थान पर रहने के अधिकार को बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी और यदि घर को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसका सरकारी लागत पर पुनः निर्माण किया जाएगा। दिया जाने वाले भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

क्र. स.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
36.	अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करना। क. किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का (अधिनियम की धारा 3(1)(र) उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कुआं, तालाब, कुण्ड, नल या अन्य जलीय स्थान पर कोई स्नानघाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(लक)(क) ख. साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नये कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या अन्य किसी यान पर आरोहण करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(za)(ख)	(क) संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या शमशान भूमि का उपयोग करने या किसी नदी, सरिता, कुआं, तालाब, कुण्ड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नानघाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करने का अधिकार बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत राशि दी जाएगी। दिया जाने वाले भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है। (ख) संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के समान साइकिल या मोटन साइकिल आरोहण या सवारी करने या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नये कपड़े पहनने या विवाह की शोभा यात्रा निकालने या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या अन्य किसी यान पर आरोहन करने के अधिकार को बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
	ग. जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटरस सहित किसी सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना। (अधिनियम की धारा 3(1)(लक)(ग)	(ग) संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के समान जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करने या जाटरस सहित किसी सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेने या उसको निकालने के अधिकार को बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर

क्र. स.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
	घ. किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तु का उपयोग करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(लक)(घ)	(घ) संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के समान किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुएं उपयोग करने के अधिकार को बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
	ङ. किसी वृत्तिक में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उप-जीविका, व्यापार, कारबार या किसी नौकरी में नियोजन करना, जिसमें जनता या उसकी किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनियम की धारा 3(1)(लक)(ङ)	(ङ) संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किसी वृत्तिक में व्यवसाय करने या किसी ऐसी उप-जीविका, व्यापार, कारबार या किसी नौकरी में नियोजन करने, जिसमें जनता या उसकी किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उसतक पहुंचने के अधिकार को बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

क्र. स.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
37.	जादू-टोना करने या डाइन करने के अभिकथन पर शारीरिक हानि पहुंचाना या मानसिक यंत्रणा देना। (अधिनियम की धारा 3(1)(लख)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए और पीड़ित व्यक्ति के अनादर, अवमानना, क्षति और मान-हानि के अनुरूप भी राहत राशि। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना या उसकी धमकी देना। (अधिनियम की धारा 3(1)(लग)	संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के समान सभी आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के उपबंधों को बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत राशि दी जाएगी। निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजने पर उस राशि का पूर्ण भुगतान किया जाएगा।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना अथवा गढ़ना। (अधिनियम की धारा 3(2)(i)(ii)	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पन्द्रह हजार रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
40.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत किए गए अपराधों के लिए दंड जो 10 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए दंडनीय है। (अधिनियम की धारा 3(2)	पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को चार लाख रूपए। यह राहत राशि इस अनुसूची में दी गई राशि के अन्यथा भी हो सकती है। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत किए गए अपराध जिन्हें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों के साथ अधिनियम की अनुसूची में दंडनीय विनिर्दिष्ट किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(भक)।	पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

क्र. स.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
42.	लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vii)।	पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
43.	निर्योग्यता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 16-18/97-एन आई दिनांक 1 जून, 2001 में उल्लिखित विभिन्न निर्योग्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए दिशा-निर्देश और प्रमाणन के लिए प्रक्रिया। अधिसूचना की एक प्रति अनुबंध-II पर है। (क) 100% असमर्थता। (ख) जहां असमर्थता 50% से अधिक लेकिन 100% से कम है। (ग) जहां असमर्थता 50% से कम है।	पीड़ित व्यक्ति आठ लाख पचास हजार रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 50%, चिकित्सा जांच होने और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पचास हजार रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 50%, चिकित्सा जांच होने और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है पीड़ित व्यक्ति को दो लाख पचास हजार रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 50%, चिकित्सा जांच होने और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। 50%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है
44.	बलातसंग अथवा गैंग द्वारा किया गया बलातसंघ। (i) बलातसंघ (भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (1860 का 45) (ii) गैंग द्वारा किया गया बलातसंघ (भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घ (1860 का 45)	पीड़ित व्यक्ति पांच लाख रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 50%, चिकित्सा जांच होने और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। 25%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है। पीड़ित व्यक्ति को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 50%, चिकित्सा जांच होने और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। 25%, जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

क्र. स.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
45.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित व्यक्ति को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :- 50%, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। 50%, जब न्यायालय को आरोप-पत्र भेजा जाता है
46.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलातसंग, स्थायी असमर्थत और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त राहत।	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत राशि के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से 3 माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाएगीः- अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित मृतक व्यक्तियों की विधवा या अन्य आश्रितों को पांच हजार रूपए प्रति माह की दर से बेसिक पेंशन जो कि संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हैं, और ग्राह्य महंगाई भत्ता और मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान, यदि आवश्यक हो, तो उसकी तत्काल खरीद द्वारा व्यवस्था करना। पीड़ित व्यक्तियों के बच्चों की स्नातक स्तर तक की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा खर्चा। बच्चों को सरकार द्वारा वित्तपोषित आश्रम स्कूलों अथवा आवासीय स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। 3 माह की अवधि के लिए बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था।
47.	पूर्णतः नष्ट किया/जला हुआ मकान।	जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो, वहां सरकारी खर्चे पर ईंट अथवा पत्थर के मकान का निर्माण किया जाएगा या उसकी व्यवस्था की जाएगी।

इस संबंध में और आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची (फोन : 0651-2481520, फैक्स : 0651-2482397, ईमेल : **jhalsaranchi@gmail.com** वेबसाइट : **www.jhalsa.org**, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निदेशक और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से कृपया संपर्क करें।

द्वारा प्रकाशित :

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

न्याय सदन, ए.जी. ऑफिस के समीप, डोरण्डा, राँची, फोन : 0651-2481520,

फैक्स : 0651-2482397, ईमेल : **jhalsaranchi@gmail.com** वेबसाइट : **www.jhalsa.org**

यह सामग्री झालसा के वेबसाइट **www.jhalsa.org** पर भी उपलब्ध है।

सूचना : यह सामग्री केवल जन-जागरूकता के लिए है।
किसी भी प्रकार का दावा करने से पूर्व मूल स्कीम द्रष्टव्य है।

प्रकाशन वर्ष : 2017